

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली।

पत्रांक व0स0-प0/30118 /2018-19 दिनांक 30-12-19

अध्यक्ष/प्रबन्धक,

व्यास वर्ल्ड स्कूल (अंग्रेजी माध्यम)

महानगर कालौनी के सामने पीलीभीत बाई पास रोड बरेली।

विषय:- मान्यता प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन-पत्र दिनांक 28.12.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो खण्ड शिक्षा अधिकारी महानगर, बरेली के पत्र सं0:मान्यता/810/2019-20 दिनांक 27.12.2019 के द्वारा आख्या के उपरान्त प्राप्त हुआ है। जिसके द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक व0स0-11/23571-78/2016-17 दिनांक 05.12.2016 के द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा-8 तक अंग्रेजी माध्यम की दिनांक 01.04.2017 से दिनांक 31.3.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रदत्त की गयी मान्यता को स्थायी करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18 / (20)/91 दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। "प्रथमतः निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उलंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है। आपके द्वारा प्रस्तुत पत्र पर खण्ड शिक्षा अधिकारी बरेली की आख्या के अनुसार विगत तीन वर्षों में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है। इस लिए शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आपके विद्यालय की मान्यता जारी रहेगी। यदि आगामी वर्षों में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित होता है तो आपके विद्यालय के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायेगी तथा शासन/विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(तनुजा त्रिपाठी)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली।

VYAS WORLD SCHOOL

PRINCIPAL